राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल,जयपुर
वित्त (नियम) विभाग (0141–2374671)

कमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2021/ 11836 दिनांकः– 07-12-2021

## परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 (बोली प्रतिभूति) के उपनियम 6 एवं 9 में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैः–

(6) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

(9) बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

कार्य सम्पादन प्रतिभूति के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के उपनियम 3 (घ) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैः–

"किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारण्टी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।"

अतः **समस्त संस्था प्रधानों/उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आमंत्रित बोलियों में अनुबन्ध सम्पादित किये जाने से पूर्व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना किया जाना भी सुनिश्चित करावें:–**

(i) **विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति, बारंटी बाध्यताओं और रख रखाव एवं दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के** पूरा होने की तारीख से परे 180 दिनों (6 माह) की कालावधि के लिए विधिमान्य होनी चाहिए। यदि किसी अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति की विधिमान्यता की अवधि भी उसी अनुसार बढ़ाई जायेगी।

(ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई बैंक गारण्टी के सत्यापित नहीं होने **की स्थिति में बोली लगाने वाली संस्था को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 11 (Code of Integrity for procuring entity and bidders) एवं धारा 46 (Debarment from bidding) के अन्तर्गत बोली लगाने से विवर्जित किया जावेगा।**

7/12/2021
(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

कमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2021/11836 दिनांकः– 7/12/21

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. **महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक** ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. **उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक**( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. **उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।**
6. **निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।**
7. **मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।**
8. **मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, .....।**
9. **रक्षित पत्रावली।**

(हरिनारायण मीणा)
महा प्रबन्धक (वित्त)